फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

असेट री कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी बनाम रमेश देवनानी व अन्य

प्रकरण संख्या 350 / 2018 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
10.02.2021	प्रार्थी वित्तीय संस्था–बैंक ने सरफेशी अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्थान–बैंक के पक्ष में वन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस ईमदाद उपलब्ध कराने बावत प्रार्थना पत्र पेश किया है। न्यायहित में अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड सूचना पत्र जारी किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.02.2021 को पेश हो। [signature] जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	
25/2/21	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। अप्रार्थी सं० 1 की ओर से श्री उमेश जयपाल ने वकालतनामा पेश किया जवाब/बहस हेतु अवसर चाहा है अतः पत्रावली दिनांक 18-3-21 को पेश हो। [signature] जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	
18.3.21	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित है। वकील विपक्षी ने ऋणी द्वारा राशि जमा कराने का कथन किया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने अप्रार्थी के कथन का समर्थन करते हुये प्रा.पत्र नोट प्रेस किया है अतः वकील प्रार्थी द्वारा नोट प्रेस किये जाने से धारा 14 सरफेसी एक्ट का प्रा.पत्र नोट प्रेस होकर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। [signature] 18/3/21 जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	Note Press [signature] 18/03/21

Scanned by CamScanner